अपील सूचना अधिकार संख्या 101/2019 (RCMS 2019/00264) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 72 वर्ष निवसी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर (पोस्टल ऑर्डर नं. 46एफ/866991) बनाम प्रधानाध्यापिका पटवार प्रशिक्षण शाला, गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर

17.02.2020

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुआ और लिखित बहस पेश की। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने कथन किया कि उसने दिनांक 11.09.2019 को लोक सूचना अधिकारी एवं प्रधानाध्यापिका पटवार प्रशिक्षण शाला, श्रीगंगानगर के समक्ष समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सत्रह बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी, जो उनके उनके द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित की जाकर, प्रार्थी को हर्जाना दिलवाया जावे और निःशुल्क सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की हैं

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 11.09.2019 से निम्न सूचना चाही थी :

1. पत्रांक 370/16.08.2019 के प्रथम पृष्ठ में अंकित तथ्य कि प्रेषित पत्रांक 267 दिनांक 11.04.2012 की निरन्तरता में लिखा गयाथा, यह पत्रांक जिस अधिकारी व कर्मकार द्वारा जिस अधिकारी को जिस अधिनियम की जिस धारा या पंजीकरण अधिनियम 1908 व राजस्थान स्टाम्प रूलस 1955 की जिस धारा में यह पत्रांक 267 दिनांक 11.04.2012 लिखा गया है, उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।
2. प्रथम पृष्ठ की पेज संख्या 01 के बिन्दु संख्या 01 में यह कथन कि परिवादी राधेश्याम गोयल द्वारा राजस्थान

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

पंजीयन नियम 1955 का पूर्णतया अध्ययन नहीं किया गया है जबकि अनुमान के आधार पर खंडन प्रस्तुत किये गये है, परिवादी राधेश्याम गोयल द्वारा मिथ्या कथन किये गये है :

1. राजस्थान पंजीयन नियम की जिस धारा का जिस विषय वस्तु के सम्बन्ध में पूर्णतया अध्ययन नहीं किया है उस नियम व .. जिस विषय वस्तु के सम्बन्ध में अनुमान के आधार पर
2. खंडन किया है वह विषय वस्तु की सूचना व अनुमान के आधार पर खंडन किये जाने के नियम व अधिनियम की सूचना व प्रमाणित प्रति।
3. प्रार्थी द्वारा जिस विषय वस्तु पर मिथ्या कथन किये है उस विषय वस्तु की सूचना व प्रमाणित प्रति।
4. जिस अधिनियक की जिस धारा के अन्तर्गत मिथ्या कथन किये गये है उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।

5. लेकिन उनके द्वारा मिथ्या आधारों पर समय नष्ट किया जा रहा है— पृष्ठ 1 बिन्दु संख्या 4

   जिस विषय वस्तु पर जितना समय नष्ट किया गया है, उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।

6. "दिनांक 11.04.2000 को अधोहस्ताक्षरकर्त्ता उपपंजीयक कार्यालय, श्रीगंगानगर में पद स्थापित नहीं थी"

   जिस आधार अधिनियम व नियम की जिस धारा में सहवन शब्द आप द्वारा दिनांक 26.08.2018 को उप पंजीयन पद पर श्रीगंगानगर में न होते हुए भी लिखा, उस नियम की व आधार की सूचना व प्रमाणित प्रति।

7. परिवादी अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता से दस्तावेजो के संदर्भ में मनवांछित टिप्पणी लिखवाना चाहता था" पृष्ठ एक व दो लाईन संख्या आखिरी व प्रथम

   जिस दस्तावेज के संदर्भ में परिवादी/प्रार्थी मनोवांछित टिप्पणी लिखवाना चाहता था, उस दस्तावेज की सूचना व दस्तावेज की विषय वस्त व दस्तावेज की प्रमाणित प्रति।

8. परिवादी का उद्देश्य यही होता है कि किन्ही भी दो विभिन्न अधिकारियों द्वारा एक ही बिन्दु पर दी जाने वाली सूचना में अन्तर आ जाए तथा वह उस अधिकारी की मिथ्या शिकायते करके मंग व परेशान कर बिन्दु संख्या 7 पृष्ठ – उक्त कथन जिस – सम्बन्धित दस्तावेजों व अधिकारियों के सम्बन्ध मे उस दस्तावेज की सूचना प्रमाणित प्रति व अधिकारियों –

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

9. वर्तमान में गोदावरी बनाम राधेश्याम के विभाजन के वाद में कर लिया था'' पृष्ठ सं. 2 बिन्दु सं.6

गोदावरी बनाम राधेश्याम के वाद का क्रमाक संख्या, वाद दायर करने की दिनांक, विषय वस्तु की सूचना, इस वाद के सम्बन्ध में श्रीमान् को प्राप्त स्त्रोत की सूचना व वाद की प्रमाणित प्रति।

10. मोनिका देवी का नाम लिपिकिय भूल के कारण लिखा गया है। पृष्ठ सं. 2 बिन्दु सं. 7

जिस अधिनियम पंजीकरण 1908 की धारा व राजस्थान पंजीयन नियम 1955 की धारा के अन्तर्गत लिपिकिय शब्द जिस दस्तावेज में अंकित है जिस अधिकारी द्वारा व कर्मकार द्वारा लिपिकिय त्रुटि के कारण मोनिका देवी का नाम लिखा गया है, उसका नाम, पद की सूचना , अधिनियम की धारा व नियम की सूचना व प्रमाणित प्रति।

11. ''दिनांक 11.04.2000 को अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता उप पंजीयक, श्रीगंगानगर में पदस्थापित नहीं थी'' पृष्ठ सं. 2 बिन्दु सं. 8

जिस आधार व अधिनियम की धारा के द्वारा अपने पत्रांक 696 दिनांक 26.06.2018 में मोनिका देवी का नाम सहवन से लिखा गया है,। अतः उक्त अधिनियम की धारा व नियम की सूचना, प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवायें।

12. —अधिनियम की धारा 60 में उल्लेखित प्रावधान की मन वांछित व्याख्या प्रस्तुत कर रहा है'' बिन्दु सं. 10

मन वांछित व्याख्या जिस आधार व विषय वस्तु पर कर रहा है, उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

13. अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा कोर्ठ निर्णय पारित नहीं किया गया है और न ही पत्रांक 696 निर्णय की परिभाषा में आता है। बिन्दु संख्या –

आपका पत्रांक 696 विभागीय नियमों के अनुसार जिस परिधि में आता है व उसका जो महत्व है उसकी सूचना व विभागीय नियमों की सूचना।

14. जांच – पूर्वाग्रहों व दुर्भावना से ग्रसित होकर की गई प्रतीत होती है बिन्दु संख्या 13

पूर्वाग्रहों व दुर्भावना से ग्रसित होकर जांच की गयी इस बाबत उस दस्तावेज की सूचना व प्रमाणित प्रति

15. जिला कलैक्टर, श्रीगंगानगर का पत्रांक 20257 दिनांक 24.11.2016 एवं सुसंगत दस्तावेज है जिसे परिवादी – नहीं चाहता है। जिस विषय वस्तु के सम्बन्ध में सुसंगत है। – व प्रमाणित प्रति।

16. यह कि परिवादी द्वारा आज दिनांक तक किसी भी न्यायालय में वसीयत निरस्त्रीकरण दस्तावेज दिनांक 11.04.2000 को चुनौती दी गई है" पृष्ठ 3

उपरोक्त कथन के सम्बन्ध में ..... शपत्र पत्र साहित सूचना व शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति।

17. प्रार्थी स्वभाव से शिकायत करने का आदि है: पृष्ठ सं.4

जिस अधिकारी की शिकायत की है उसकी सूचना व जो झूठी पाई गयी सूचना व प्रमाणित प्रति।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में प्रधानाध्यापक, पटवार प्रशिक्षण केंद्र, गजसिंहपुर ने अपने पत्रांक 539–40 दिनांक 21.10.2019 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है:

क्र.सं.	बिन्दु	सूचना का अभाव
1	1,3,7,10	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2एफ के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात सूचना वही देय है जो अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो सूचना बना सकते है और न ही स्वयं का मत दे सकते है, लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है, सामग्री में से कुछ तथ्य को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यों को प्रदान करना, लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नहीं दिये जा सकते, सूचना के अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में प्रदान किया जा सकता है। बिन्दु संख्या 1,3,7,10 संदर्भित क्रमांक का पत्र इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
2	2,4,5,6,8, 9,11,12, 13,14,15, 16,17	बिन्दु संख्या 2,4,5,6,8,9,11,12,13,14,15,16 एवं 17 इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का सम्बन्ध पटवार प्रशिक्षण केन्द्र, गजसिंहपुर से है और लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत पटवार प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता अधिकृत नहीं है बल्कि इस हेतु राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थन, अजमेर के पत्रांक प.1(78)राअप्रसं/स्था./08 दिनांक 03.01.2006 तहत प्रथम अपील अधिकारी के रूप में निदेशक, राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर अधिकृत है। इसलिए निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता को प्रथम अपील की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नही है

चूंकि इस न्यायालय को उक्त अपील को प्रथम अपील अधिकारी के रूप में सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील खारिज की जाती है कि प्रार्थी चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में सक्षम प्रथम अपीलीय न्यायालय में नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। प्रधानाध्यापक, पटवार प्रशिक्षण केन्द्र गजसिंहपुर के अनुसार बिन्दु संख्या 2,4,5,6,8,9,11,12,13,14,15,16,17 उनके कार्यालय से सम्बन्धित नही है इसलिए उक्त बिन्दुओं की सूचना के लिए अपीलार्थी सम्बन्धित कार्यालय के समक्ष चाराजोही कर सकता है और उनके उत्तर से अप्रसन्नता की दृष्टि में अपीलार्थी सक्षम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकता है।

आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं प्रधानाध्याक, पटवार प्रशिक्षण केन्द्र, गजसिंहपुर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 17.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर